



मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2018-19



कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018-19

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन 2018—19

विभाग का नाम	—	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्री	—	श्री हर्ष यादव

राज्य मंत्रालय

प्रमुख सचिव	—	श्री मोहम्मद सुलेमान
उप सचिव	—	श्री पुरुषोत्तम शर्मा

विभागाध्यक्ष

आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प	—	श्री नीरज दुबे
आयुक्त, रेशम संचालनालय	—	श्री विभाष कुमार ठाकुर

प्रबंध संचालक

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	—	श्री नीरज दुबे
संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	—	श्री नीरज दुबे

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. माटीकला बोर्ड	—	श्री सी.एम. शर्मा
----------------------	---	-------------------

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ
भाग-1	विभागीय संरचना	01 से 08
भाग-2	बजट विहंगावलोकन	09 से 15
भाग-3	विभागीय योजनाएं, भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ	16 से 37
भाग-4	अभिनव योजना	38
भाग-5	महिला नीति	39
भाग-6	सारांश	40

भाग — एक

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की संरचना

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज में गांव के कुटीर, लघु और कृषि उद्योग को शिक्षा के साथ जोड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने स्थानीय संगठनों को योग्य एवं कुशल बनाने और पारम्परिक संसाधनों के अधिकाधिक विवेकपूर्ण उपयोग की भी बात कही थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन ने मई 1990 में ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना की है। तब से विभाग निरंतर ग्रामोद्योगों के सुदृढीकरण की दिशा में अग्रसर है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का नेतृत्व कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री द्वारा किया जाता है।

प्रशासनिक स्तर पर प्रमुख सचिव, दो उप सचिव, और दो अनुभाग अधिकारी की सेवाएँ कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को उपलब्ध हैं।

विभागाध्यक्ष

1. आयुक्त हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. आयुक्त, रेशम संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

विकास कार्यों की समुचित व्यवस्था के लिये विभाग के अंतर्गत तीन सार्वजनिक उपक्रम और दो राज्य स्तरीय सहकारी संघ कार्यरत हैं।

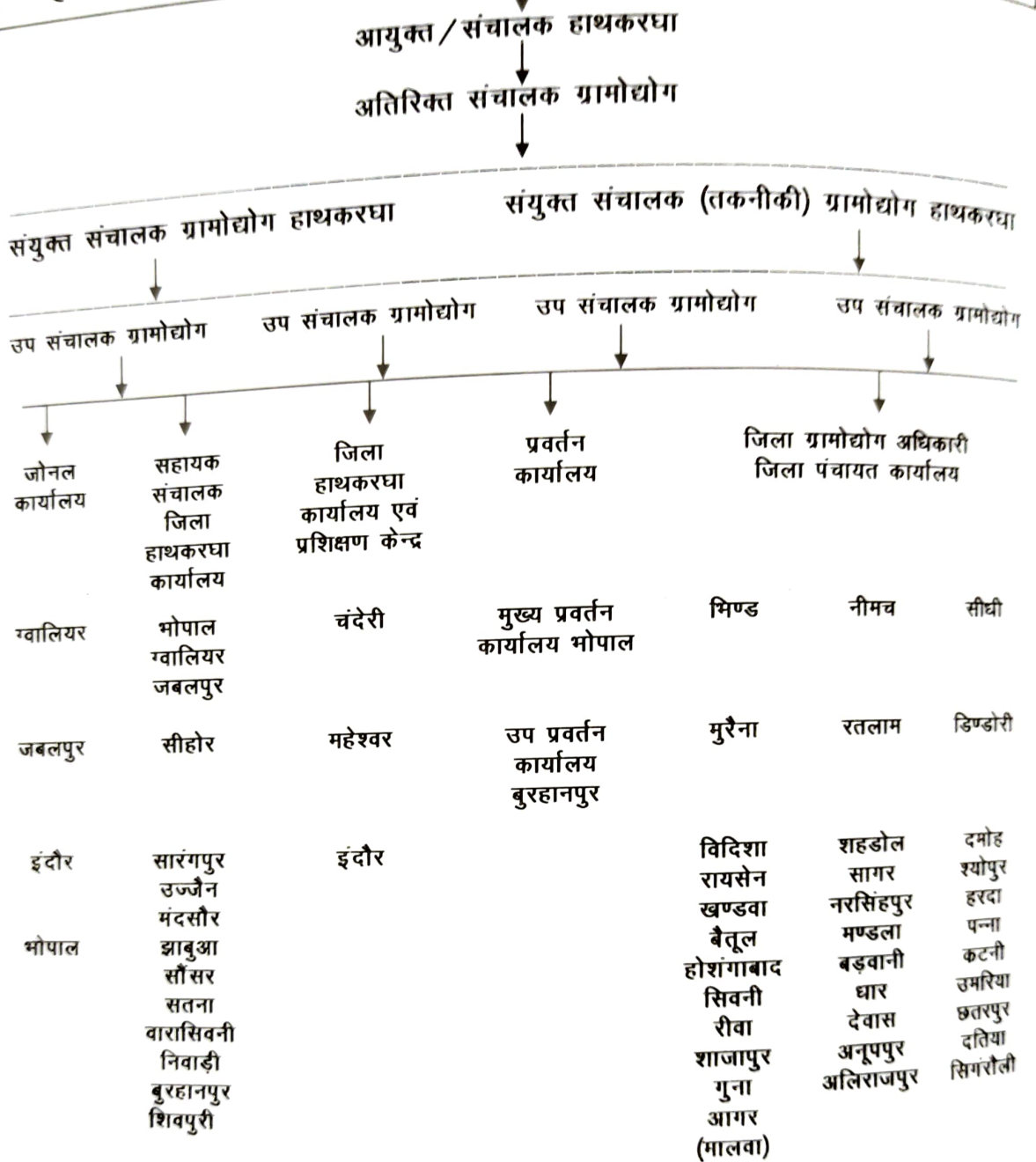
सार्वजनिक उपक्रम

1. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल
2. संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल
3. मध्यप्रदेश माटी कला बोर्ड, भोपाल

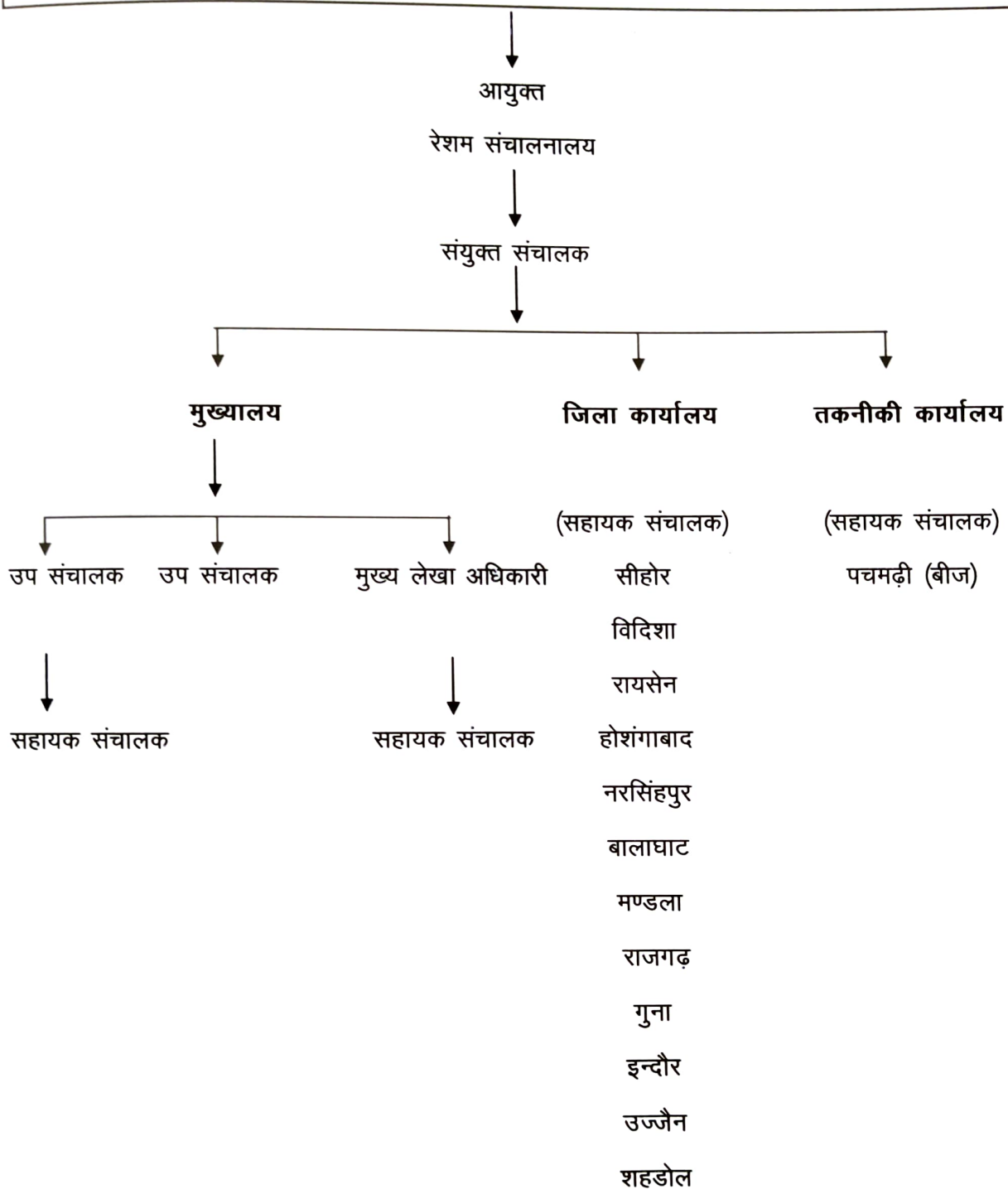
राज्य स्तरीय सहकारी संघ

1. मध्यप्रदेश राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित जबलपुर (परिसमापन अन्तर्गत)
2. मध्यप्रदेश स्टेट सेरीकल्चर डेव्हलपमेंट एण्ड ट्रेडिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल।
3. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल।

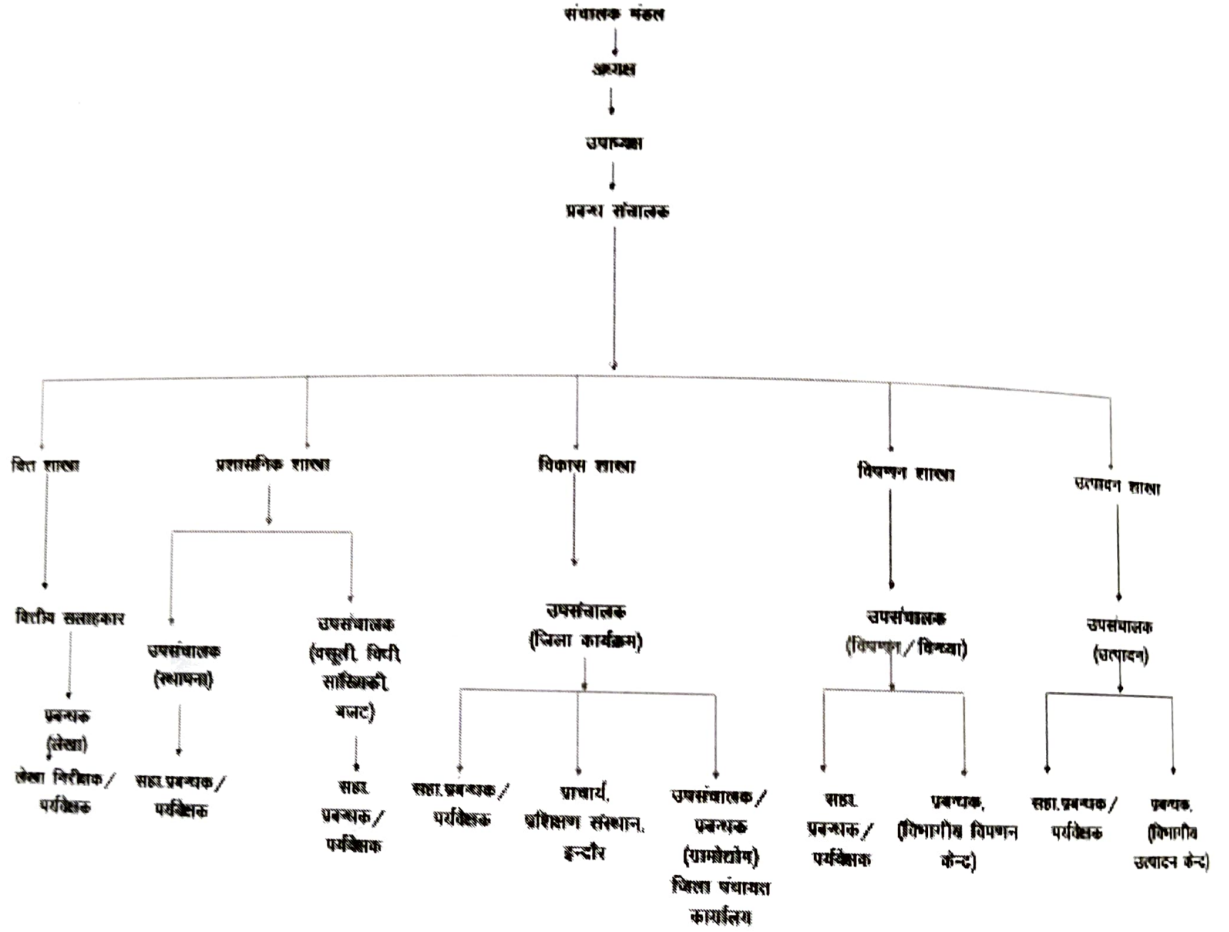
हाथकरघा संचालनालय की विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय



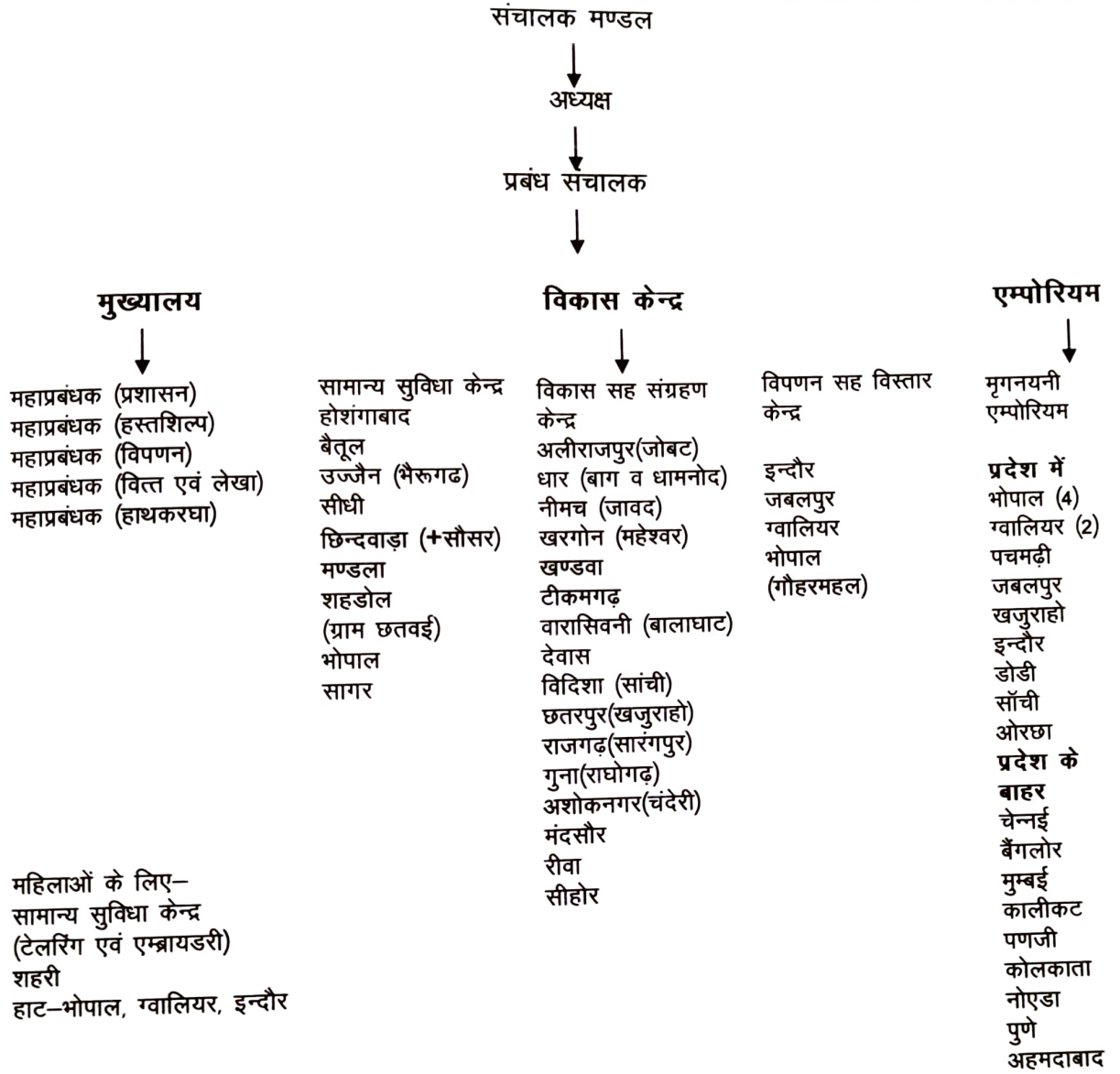
रेशम संचालनालय की संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय



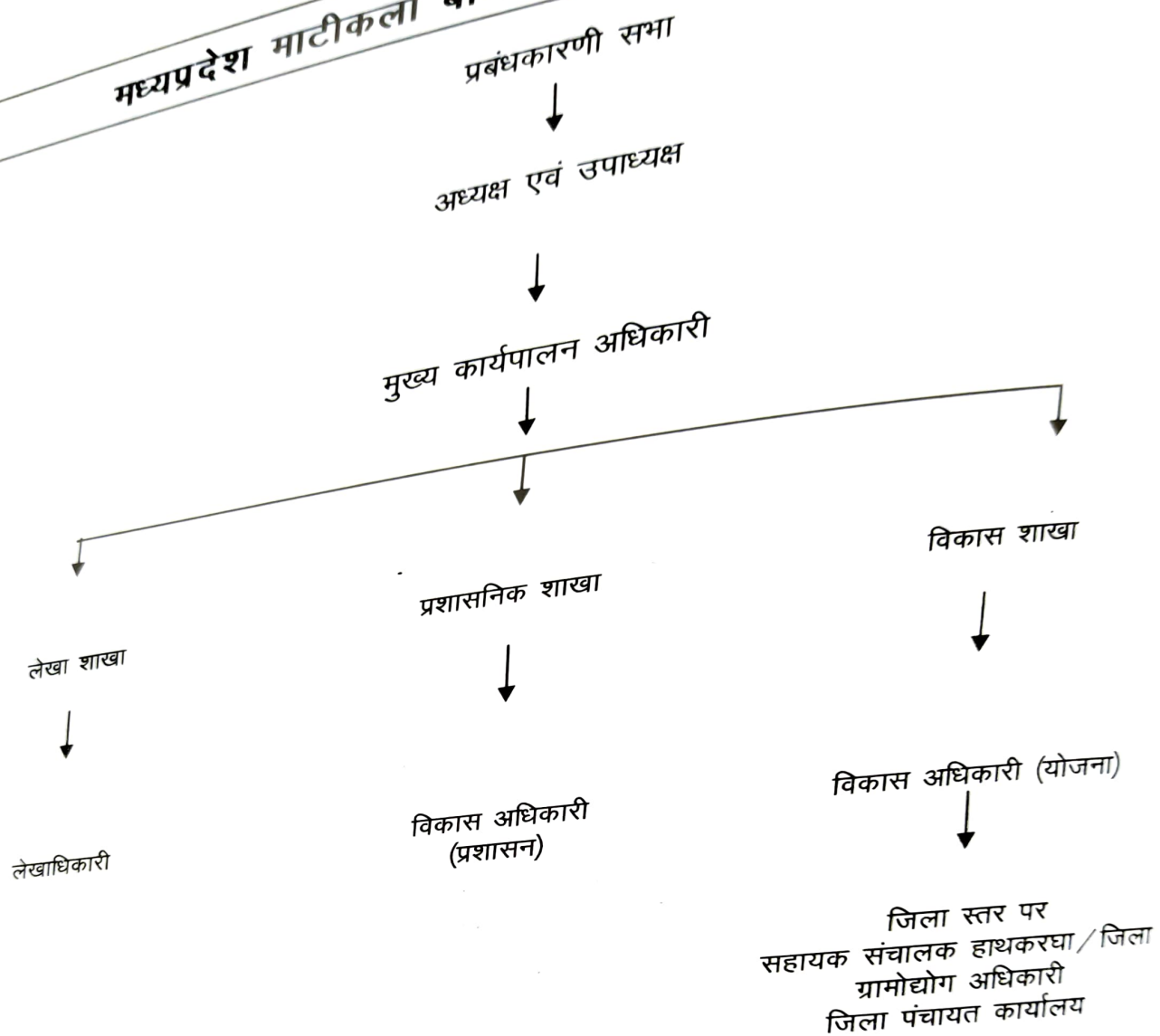
मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप



**संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं
हाथकरघा विकास निगम की संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय**



मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड की प्रशासनिक संरचना



कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के दायित्व

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की भूमिका मध्य प्रदेश के परंपरागत ग्रामोद्योगों के संवर्धन, समग्र विकास, रोजगार बढ़ाने, ग्रामोत्पादों की गुणवत्ता का विकास, कौशल उन्नयन, ग्रामोत्पादों को बाजारोन्मुखी बनाना एवं उनके विपणन को प्रोत्साहित करने से है। विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैं :-

- ग्रामोद्योगों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामोद्योग विकास में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए बुनियादी एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, उन्नत प्रौद्योगिकी, उच्चगुणवत्ता आदि के विकास के लिए सहयोग देना।
- क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए ग्रामोद्योग के विकास में निजी क्षेत्र, स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- कृषि उपज आधारित ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामोद्योग के उत्पादों के बारे में प्रदेश के भीतर एवं बाहर की मांग का आकलन कर, विपणन तंत्र को चिन्हित कर विकसित करना, गुणवत्ता के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन हेतु बेकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराना तथा उत्पादन के विपणन को प्रोत्साहित करना।

हाथकरघा संचालनालय के दायित्व

- प्राचीनतम एवं उत्कृष्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्ध परम्परा को समृद्ध बनाना।
- हाथकरघा उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाना।
- हाथकरघा बुनकरों को सतत रोजगार उपलब्ध कराना तथा नये लोगों को इस उद्योग से संबद्ध कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- बुनकरों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के प्रयास करना।
- प्रदेश में बुनाई व अन्य कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना।

रेशम संचालनालय के दायित्व

- रेशम उद्योग के जनोन्मुखी एवं व्यावसायिक रूप से संचालन को प्रोत्साहित करना।
- बाजारोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ककून तथा रेशम धागे में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार लाना व कौशल उन्नयन एवं तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना।
- रेशम उद्योग के प्रबंधन में हितग्राहियों एवं स्टेकहोल्डर्स की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- मूल्य अभिवृद्धि की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर विपणन को बढ़ावा देना।
- प्रदेश के वनों का संवहनीय उपयोग कर टसर उत्पादन का विकास करना।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के दायित्व

- खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना, विकास एवं संवर्धन में सहयोग एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु उद्यमी भावना को प्रोत्साहित करना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण तथा विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग के लिये सयंत्र, मशीनें और उपकरणों का प्रदाय एवं कच्चे माल की आपूर्ति करना।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के दायित्व

- प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प एवं हाथकरघा संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन कर रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- विकासात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों के संचालन व अधोसंरचना विकास द्वारा ऐसा वातावरण बनाना जिसमें परम्परागत शिल्पी बुनकर परिवारों के युवा पैतृक व्यवसाय में ही बने रहे।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदलती मांग के अनुरूप हस्तशिल्प हाथकरघा सेक्टर के उत्पादों की गुणवत्ता व डिजाइन्स में सुधार लाकर बाजार की प्रतिस्पर्धा में बिक्री योग्य बनाना।
- तकनीकी उन्नयन द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता बढ़ाकर शिल्पियों व बुनकरों की आमदनी में वृद्धि करना।
- हाथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए सहायता व मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराना।

शिल्पियों और बुनकरों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा परम्परागत शिल्प पॉकेट्स और हाथकरघा सघन क्षेत्रों में 29 विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। शिल्पियों/बुनकरों द्वारा उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था के लिए 22 एम्पोरियम संचालित किए जा रहे हैं जिसमें से 09 प्रदेश के बाहर देश के प्रमुख नगरों में हैं।

भोपाल, ग्वालियर एवं इन्दौर में स्थायी हाट की स्थापना की गई है।

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड के दायित्व

- माटीकला उद्योगों से संबंधित अधोसंरचना जैसे बिजली, पानी पहुँच मार्ग की व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण एवं सुझाव देना।
- तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के संबंध में प्रभावी योजना बनाना एवं धनराशि की व्यवस्था करना।
- केन्द्र सरकार राज्य शासन एवं सार्वजनिक क्षेत्र से माटी का कार्य करने वालों को सुविधाएं एवं सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय की व्यवस्था करना।
- माटी का कार्य करने वाले कारीगरों एवं उद्योगों की समस्याओं का निराकरण करने का सुझाव देना।

भाग – दो

बजट विहंगावलोकन

(केन्द्र शासन की योजनाओं को सम्मिलित कर)

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

बजट वर्ष 2018-19

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	विभागाध्यक्ष / निगम / बोर्ड	बजट प्रावधान	बजट आवंटन	व्यय
1.	हाथकरघा संचालनालय	5793.47	5637.00	5328.86
2.	रेशम संचालनालय	9163.86	8930.04	6584.29
3.	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	6954.28	6221.19	6345.62
4.	हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	1852.54	1729.09	1530.54
5.	माटीकला बोर्ड	669.09	662.62	619.34
	योग	24433.24	23179.94	20408.65

हाथकरघा संचालनालय

(केन्द्र शासन की योजनाओं को सम्मिलित कर)

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2018-19	बजट आवंटन वर्ष 2018-19	व्यय वर्ष 2018-19
राज्य स्तरीय योजनाएँ				
मांग संख्या-56 - 0101				
1.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	103.00	92.70	91.77
2.	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	2.00	1.80	1.80
3.	उद्यमी/स्व-सहायता समूह/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	26.00	23.40	17.55
4.	अनुसंधान एवं विकास	5.50	4.95	4.95
5.	कबीर बुनकर पुरुस्कार योजना	3.00	2.70	2.70
6.	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	2638.00	2638.00	2586.00
7.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	120.00	108.00	108.00
8.	युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण	11.00	9.90	7.42
9.	आई.आई.यू.एस. परियोजना चन्देरी	0.01	0.0	0.0
10.	अतिरिक्त अमला	112.170	111.97	106.59
योग		3020.68	2993.42	2926.78
मांग संख्या-56-0102 (अ.ज.जा.)				
1.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	11.00	9.90	7.43
2.	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	296.60	296.60	296.52
3.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	14.70	13.23	13.18
योग		322.30	319.73	317.13
मांग संख्या-56-0103 (अ.जा.)				
1.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	22.00	19.80	14.85
2.	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	370.70	370.70	370.25
3.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	15.30	13.77	13.62
योग		408.00	404.27	398.72
महायोग		3750.98	3717.42	3642.63

जिला स्तरीय योजनाएं				
मांग संख्या-53-0101 (सामान्य)				
1.	हाथकरघा विकास योजना	123.45	123.45	85.14
	योग	123.45	123.45	85.14
मांग संख्या 53-0102 (अ.ज.जा.)				
1.	हाथकरघा विकास योजना	50.40	45.38	27.22
	योग	50.40	45.38	27.22
मांग संख्या-53-0103 (अ.जा.)				
1.	हाथकरघा विकास योजना	26.15	23.53	12.47
	योग	26.15	23.53	12.47
	जिला योजना बजट का योग	200.00	192.36	124.83
	राज्य योजना बजट का योग	3750.98	3717.42	3642.63
	स्थापना संबंधी योजनाओं का बजट	1842.49	1847.22	1561.40
	महायोग	5793.47	5637.00	5328.86

रेशम संचालनालय

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2018-19	बजट आवंटन वर्ष 2018-19	व्यय वर्ष 2018-19
मांग संख्या- 56-0101 (सामान्य)				
1.	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	228.02	224.72	152.67
2.	रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएँ व अन्य निर्माण कार्य	47.40	47.40	37.90
3.	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	00.01	0.01	--
4.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	680.01	612.00	491.36
5.	स्पेशल प्रोजेक्ट	00.01	0.01	00.00
6.	इरी रेशम विकास एवं विस्तार	9.00	9.00	--
7.	उद्यमियों/स्वसहा. समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग	150.01	135.00	129.33
8.	रेशम उद्योग का विकास कार्य	1500.41	1458.31	1087.14
9.	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	212.96	200.06	102.40
10.	रेशम मुख्यालय का रिनोवेशन	00.01	0.01	00.00
योग		2827.84	2686.52	2000.8
मांग संख्या - 56 -0102 (अ.ज.जा)				
1.	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	93.77	93.77	59.10
2.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	270.01	243.00	221.13
3.	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	691.00	686.90	403.83
4.	रेशम उद्योग का विकास कार्य	522.13	501.00	265.50
5.	उद्यमियों/स्वसहा. समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग	0.01	0.01	--
योग		1576.92	1524.68	949.56
मांग संख्या - 53-0102 (अजजा)				
1	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	22.70	20.43	17.11
मांग संख्या - 56-0103 (अ.जा.)				
1.	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	20.04	20.01	10.38
2.	रेशम उद्योग का विकास कार्य	161.28	150.28	52.14
3.	रेशम उद्योग का विकास कार्य (पूँजी परिव्यय)	294.00	294.00	134.93
4.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	250.01	225.00	198.22
5.	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	0.04	0.04	0.00
योग		725.37	689.36	395.67
स्थापना संबंधी योजनाएँ		4011.03	4009.05	3221.15
महायोग		9163.86	8930.04	6584.29

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2018-19	बजट आवंटन वर्ष 2018-19	व्यय वर्ष 2018-19
मांग संख्या-56-0101 सामान्य				
1.	स्थापना अनुदान आयोजना	1408.27	977.37	1141.58
2.	अमला प्रशिक्षण	9.00	5.67	4.21
3.	खादी उत्पादन कृत्तिन अनुदान	60.00	54.00	54.00
4.	विपणन सहायता एवं प्रचार-प्रसार	135.00	85.05	74.84
5.	कच्चा माल क्रय सहायता	220.00	198.00	198.00
6.	अनुसंधान एवं विकास	30.00	27.00	18.90
7.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	3296.61	3296.61	3296.61
8.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	231.66	208.49	208.49
9.	कौशल विकास कार्यक्रम	253.00	204.40	184.40
10.	ग्रामोद्योग गतिविधियों का संचालन एवं संवर्धन	150.00	60.75	60.75
योग		5793.54	5117.34	5241.78
0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना				
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	396.00	396.00	396.00
2.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	71.28	64.14	64.14
3.	कौशल विकास कार्यक्रम	50.00	31.50	31.50
योग		517.28	491.64	491.64
0103 अनुसूचित जाति उपयोजना				
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	520.00	520.00	520.00
2.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	53.46	48.11	48.10
3.	कौशल विकास कार्यक्रम	70.00	44.10	44.10
योग		643.46	612.21	612.20
महा योग		6954.28	6221.19	6345.62

केन्द्र शासन (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा वित्तपोषित			(राशि लाख रु. में)	
1.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	3522.50	-	2472.18

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2018-19	बजट आवंटन वर्ष 2018-19	व्यय वर्ष 2018-19
	मांग संख्या-56			
1.	विकास सह संग्रहण केन्द्रों का संचालन	589.00	530.10	530.07
2.	प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसार	132.00	118.80	118.80
3.	शिल्पी/बुनकर कल्याण योजना	0.01		
4.	अनुसंधान एवं विकास	16.50	14.85	14.85
5.	उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	30.00	27.00	27.00
6.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	263.00	236.70	236.70
7.	निगम मुख्यालय को मॉनिटरिंग हेतु अनुदान	609.01	607.21	458.22
8.	निगम भवनों का संधारण	36.00	32.40	32.40
9.	स्पेशल प्रोजेक्ट	0.01		
10.	प्रमोशन अभिलेखीकरण	50.00	45.00	45.00
11.	अधोसंरचना विकास	0.01		
12.	कालीन पार्क	100.00	90.00	40.50
13.	कौशल विकास	24.00	24.00	24.00
	योग	1852.54	1729.09	1530.54

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

क्र.	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2018-19	बजट आवंटन वर्ष 2018-19	व्यय वर्ष 2018-19
राज्य स्तरीय योजनाएँ				
मांग संख्या-56-0102 (अजजा)				
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार	0.95	0.95	0.95
2.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	0.15	0.13	0.13
मांग संख्या-56-0101 (समान्य)				
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना	476.90	476.90	448.27
2.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	52.20	46.97	41.32
2.	उद्यमियों को प्रशिक्षण	15.84	15.84	15.84
3.	प्रचार-प्रसार योजना	10.56	9.50	6.50
4.	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	6.00	6.00	0
5.	प्रशासनिक व्यय हेतु सहायता	90.00	90.00	90.00
मांग संख्या-64 -0103 (अजजा)				
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार	14.84	14.84	14.84
2.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	1.65	1.49	1.49
योग		669.09	662.62	619.34

भाग तीन

विभागीय योजनाएं

राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तीन वर्ष की तुलनात्मक वित्तीय-भौतिक उपलब्धियाँ
हाथकरघा संचालनालय

अ. राज्य स्तरीय योजनाएं

(राशि रुपये लाखों में)

मांग संख्या-56-0101 (सामान्य)							
क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	101.70	101.70	100.00	99.44	92.70	91.77
2.	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	0	0	2.00	0.99	1.80	1.80
3.	उद्यमी/स्व-सहायता समूह/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	21.195	21.195	26.00	23.35	23.40	17.55
4.	अनुसंधान एवं विकास	4.50	4.50	5.00	4.50	4.95	4.95
5.	कबीर बुनकर पुरुस्कार योजना	2.70	2.70	3.00	2.70	2.70	2.70
6.	सूचना प्रौद्योगिकी	29.02	26.16	0	0	0	0
7.	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	2933.38	2851.11	2611.00	2611.00	2638.00	2586.00
8.	आर्थिक कल्याण योजना	0	0	0	0	108.00	108.00
8.	युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण	9.00	8.94	10.00	9.00	9.90	7.42
9.	आई.आई.यू.एस. परियोजना चन्देरी	198.99	198.99	0.01	0	0	0
10.	अतिरिक्त अमला	87.34	77.81	99.26	89.10	111.97	106.59
योग		3387.83	3293.11	2856.27	2840.04	2993.42	2926.78
मांग संख्या-56-0102 (अ.ज.जा.)							
12.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	9.79	9.79	10.00	9.00	9.90	7.43
13.	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	141.73	141.43	283.00	282.95	296.60	296.52

14.	आर्थिक कल्याण योजना	0	0	0	0	13.23	13.18
योग		151.52	151.22	293	291.95	319.73	317.13
मांग संख्या-56-0103 (अ.जा.)							
14.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	24.60	24.60	20.00	17.96	19.80	14.85
15.	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	177.94	177.94	351.00	351.00	370.70	370.25
16.	आर्थिक कल्याण योजना	0	0	0	0	13.77	13.62
योग		202.54	202.54	371	368.96	404.27	398.72
महायोग		3741.89	3646.87	3520.27	3500.99	3717.42	3642.63
ब. जिला स्तरीय योजनाएं							
मांग संख्या-53-0101 (सामान्य)							
16.	हाथकरघा विकास योजना	111.10	103.08	123.45	121.10	123.45	85.14
योग		111.10	103.08	123.45	121.10	123.45	85.14
मांग संख्या-53-0102 (अ.ज.जा.)							
17.	हाथकरघा विकास योजना	45.36	42.40	43.38	35.88	45.38	27.22
योग		45.36	42.40	43.38	35.88	45.38	27.22
मांग संख्या-53-0103 (अ.जा.)							
18.	हाथकरघा विकास योजना	23.53	13.86	23.54	18.81	23.53	12.47
योग		23.53	13.86	23.54	18.81	23.53	12.47
क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
	जिला बजट का योग	179.99	159.34	190.37	175.79	192.36	124.83
	राज्य बजट का योग	3741.89	3646.87	3520.27	3500.99	3717.42	3642.63
	महायोग	3921.88	3806.21	3710.64	3676.78	3909.78	3767.46

राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तीन वर्ष की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियां

राज्य स्तरीय योजनाएं

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
मांग संख्या-56-0101 (सामान्य)							
1.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	110 हितग्राही	247 उद्यमी	100	400 हितग्राही	102 हितग्राही	145 हितग्राही
2.	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	—	01 उद्यमी	25 हितग्राही	फिल्म निर्माण	25 हितग्राही	25 हितग्राही
3.	स्पेशल प्रोजेक्ट	—	—	—	—	—	
4.	उद्यमी/स्व-सहासमूह/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	50 हितग्राही	200 उद्यमी	100 हितग्राही	295 हितग्राही	100 हितग्राही	90 हितग्राही
5.	अनुसंधान एवं विकास	03 प्रशिक्षण केन्द्र	02 इकाई	03 प्रशिक्षण केन्द्र	02 प्रशिक्षण केन्द्र	03 प्रशिक्षण केन्द्र	2 प्रशिक्षण केन्द्र
6.	कबीर बुनकर पुरस्कार योजना	03 बुनकर	03 बुनकर	03 बुनकर	03 बुनकर	03 बुनकर	03 बुनकर
7.	सूचना प्रौद्योगिकी	कम्प्यूटर सामग्री	कम्प्यूटर सामग्री	कम्प्यूटर सामग्री	—	—	
8.	युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण	50 हितग्राही	34 उद्यमी	70 हितग्राही	39 हितग्राही	70 हितग्राही	63 हितग्राही
9.	आई.आई.यू.एस. चन्देरी	01 परियोजना	01 परियोजना	—	—	—	
10.	राष्ट्रीय हाथकरघा विकास योजना	—	—	—	—	—	
11.	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	1533 हितग्राही	1533 उद्यमी	2149	2019	3139	2880
12.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	—	—	—	1000	880	668
मांग संख्या 0102 (अ.ज.जा.)							
1.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	70 हितग्राही	60 उद्यमी	50 हितग्राही	22 हितग्राही	22 हितग्राही	30 हितग्राही
	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	178 हितग्राही	178 हितग्राही	236 हितग्राही	370	383	283
2.	आर्थिक कल्याण योजना	—	—	—	130	108	113
मांग संख्या 0103 (अ.जा.)							
1.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	25 हितग्राही	40 उद्यमी	50 हितग्राही	50 हितग्राही	50 हितग्राही	60 हितग्राही

2.	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	210 हितग्राही	210 उद्यमी	275 हितग्राही	260	478	450
3.	आर्थिक कल्याण योजना	—	—	—	130	112	184
मांग संख्या-56-0101 (अजजा)							
2.	आई.आई.यू.एस. चंदरी परियोजना	01 परि.	01 परि.	—	—	—	
जिला स्तरीय योजनाएं							
1.	हाथकरघा विकास योजना	3960 उद्यमी	16203 उद्यमी	1800 उद्यमी	1758 उद्यमी	1923 उद्यमी	1248 उद्यमी

संचालित योजनाएं

(अ) जिला स्तरीय योजनाएं

1. हाथकरघा उद्योग विकास योजना

हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाओं के बुनकरों/शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामोद्योग उत्पादों को बाजार योग्य बनाने हेतु तकनीकी, विपणन एवं कार्यशील पूँजी हेतु सहायता प्रदान करना। बुनकर सहकारी समितियों, स्वसहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाएं जो कार्यशील होकर अपने सदस्यों को रोजगार प्रदान कर रही हैं, योजना अंतर्गत सहायता के लिये पात्र होंगी।

(ब) राज्य स्तरीय योजनाएं

1. एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाने, वर्तमान क्लस्टर को सुदृढ़ करने, क्लस्टरों को वित्तीय समर्थन बढ़ाने, डायग्नोस्टिक स्टडी, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट डिजाइन, बाजार लिंकेजेस, सलाहकारों की सेवाएं लेने एवं कमियां को चिन्हित करने हेतु अध्ययन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु लघु एवं मध्यम उद्यमियों/अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु वर्कशाप अध्ययन भ्रमण के आयोजन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क नाली पेयजल विद्युत प्रदाय शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

2. उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्वसहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, उत्पाद परिवर्तन/परिवर्धन, विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों तथा उद्योग के उत्थान के लिये यह योजना लागू की गई है।

3. कबीर बुनकर पुरुस्कार योजना

उत्कृष्ट हाथकरघा वस्त्र उत्पादन करने वाले दो बुनकरों को समिति की अनुशंसा निर्णय अनुरूप प्रथम रुपये 1,00,000/- द्वितीय रुपये 50,000/- पुरुस्कार, एवं तृतीय पुरुस्कार राशि रु. 25,000/- तथा प्रतीक चिन्ह प्रदान करने का प्रावधान है।

4. अनुसंधान एवं विकास योजना

हाथकरघा क्षेत्र में नवीन अनुसंधान/विकास कार्य नमूनों का निर्माण इत्यादि कार्यों के लिए राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी के अनुमोदन अनुसार सहायता निगम, संघ एवं समितियों को स्वीकृत की जाती है। यह योजना भी संचालनालय स्तर से संचालित की जाती है।

5. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य

हाथकरघा संचालनालय एवं अधीनस्थ जिला हाथकरघा कार्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों के लिए योजना से सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

6. स्पेशल प्रोजेक्ट

हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के प्रमुख कलस्टरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिये परियोजना आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, तथा संस्थानों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, डिपार्टमेंट आफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट आदि के सहयोग से परियोजनाएं क्रियान्वयन हेतु सहायता दी जाती है।

7. प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

प्रदेश के ग्रामोद्योग उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यों के (हाथकरघा, हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग की परम्पराओं के) अभिलेखीकरण जिस पर डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रेक्टीसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जाती है। यह सहायता प्रोजेक्ट आधारित होती है। सहायता के अधिकतम सीमा तक राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट कमेटी के विवेकाधीन होती है।

8. युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण

भारत सरकार द्वारा संचालित टेक्सटाईल/हाथकरघा/हस्तशिल्प/ग्राम एवं कुटीर इत्यादि प्रशिक्षण केन्द्रों/शिक्षण संस्थानों में प्रदेश के बुनकरों/शिल्पियों के युवाओं को प्रशिक्षण छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रासंगिक व्ययों की पूर्ति हेतु सहायता दी जाती है। भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान जोधपुर के लिए प्रदेश हेतु 10 सीटों का आरक्षण किया गया है, जिसमें प्रदेश के हाथकरघा उद्योग को उचित तकनीकी अमला उपलब्ध कराने की दृष्टि से 3 वर्षीय डिप्लोमा के हाथकरघा/हस्तशिल्प/ग्राम एवं कुटीर उद्योग से जुड़े युवा बुनकरों/शिल्पियों/उद्यमियों को विभिन्न रोजगार मूलक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने हेतु शिल्पी परिवार के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवक व युवतियों को प्रशिक्षित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यक्रम

विकास आयुक्त हाथकरघा भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हाथकरघा विकास योजना को 12 वी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया है। इस योजना में प्रमुख रूप से निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया है :-

1. क्लस्टर विकास कार्यक्रम।
2. हाथकरघा विपणन सहायता।
3. हाथकरघा संस्थाओं का विकास और सुदृढीकरण।
4. हाथकरघा संगणना।
5. नवोन्मेषी विचारों का कार्यान्वयन।
6. योजना का प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण और मूल्यांकन।

उपरोक्त घटकों में से क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू की जावेगी जो एकीकृत हाथकरघा विकास कार्यक्रम योजना के स्थान पर लागू होगी। इस घटक के अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्न घटकों को शामिल किया गया है :-

1. विपणन प्रोत्साहन सहायता।
2. क्लस्टरों का सुदृढीकरण।

10. मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना

योजना के अंतर्गत हाथकरघा बुनकरों एवं शिल्पियों को रोजगार स्थापित किये जाने हेतु राशि रुपये 10.00 लाख तक के परियोजनाओं में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने पर सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राहियों को स्वीकृत ऋण पर 15 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 1.00 लाख) एवं बी.पी.एल./अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन/के लिये बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 30 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 2.00 लाख) दिये जाने का प्रावधान है, साथ ही योजना में समस्त वर्गों के हितग्राहियों को स्वीकृत बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत एवं महिला हितग्राहियों को 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान (अधिकतम 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष) आगामी 7 वर्ष तक दिये जाने का प्रावधान है।

11. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत बुनकर/शिल्पियों को स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु राशि रुपये 50 हजार तक की सहायता बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। आवेदक पी.डी.एस. कार्ड धारक होना अनिवार्य होगा। आवेदन दिनांक को हितग्राही की आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के मध्य हो। इस योजना में परियोजना लागत पर सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत तथा बी.पी.एल./अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन/विमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्द्ध घुम्मकड़ जाति को 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 15,000 मार्जिन मनी सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

रेशम संचालनालय
तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियाँ

(अ) राज्य योजनाएं

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
मांग संख्या - 56 -0101							
1.	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	576.05	204.87	547.00	262.11	224.72	152.67
2.	रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं व अन्य निर्माण कार्य	468.24	155.79	47.40	11.26	47.40	37.90
3.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	50.00	39.24	50.00	24.88	0.01	--
4.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	1138.00	1081.31	1027.63	946.05	612.00	491.36
5.	स्पेशल प्रोजेक्ट	00.00	00.00	0.01	00.00	00.01	0.00
6.	उद्यमियों/स्व. सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं का सहयोग	457.83	22.15	334.00	299.83	135.00	129.33
7.	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	262.98	177.13	202.25	62.97	200.06	102.40
8.	इरी रेशम विकास एवं विस्तार	8.10	4.69	4.95	00.00	09.00	0.00
9.	रेशम उद्योग का विकास कार्य	2966.18	1820.36	2112.68	959.62	1458.31	1087.14
10.	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	45.00	25.43	50.00	39.82	00.00	0.00
11.	रेशम मुख्यालय का रिनोवेशन	0.01	0.01	0.01	00.00	00.01	0.00
12.	पालिसी रिफार्म इंटरशिप रिसोर्स	0.01	0.01	00.00	00.00	00.00	0.00
13.	ई-गवर्नेंस	0.01	0.01	00.00	00.00	00.00	0.00
योग		5975.39	3530.93	4375.92	2606.54	2686.52	2000.80
मांग संख्या - 41/56-0102							
1.	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	189.00	88.19	210.00	85.58	93.77	59.10
2.	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	935.28	579.87	820.75	432.03	501.00	265.50

3.	रेशम उद्योग का विकास कार्य	1158.98	801.48	1039.62	673.30	522.13	265.50
4.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	40.50	16.94	248.00	187.35	243.00	221.13
5.	उद्यमियों/स्व सहा.समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग	13.50	4.50	15.00	10.05	00.01	0.00
योग		2458.76	1490.98	2333.37	1388.29	1524.68	949.56
मांग संख्या-52/53-0102							
1.	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	50.58	30.81	56.20	29.60	20.43	17.11
मांग संख्या - 64/56-0103							
1.	रेशम उद्योग का विकास कार्य	472.33	237.30	408.20	160.28	150.28	52.14
2.	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	9.17	4.92	11.72	00.00	00.04	0.00
3.	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	67.50	26.20	70.50	21.16	20.01	10.38
4.	रेशम उद्योग का विकास कार्य (पूंजी परिव्यय)	49.25	22.25	00.50	0.12	294.00	134.93
5.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	00.00	00.00	217.00	146.76	225.00	198.22
6.	उद्यमियों/स्व सहा.समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग	00.00	00.00	00.00	--	00.0	0.00
7.	कल्पवृक्ष योजना	3.16	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
योग		601.41	290.67	707.92	328.32	689.36	395.67
(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं							
मांग संख्या - 56							
1.	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	3629.48	00.00	00.01	00.00	00.01	0.00
मांग संख्या - 41							
1.	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	1844.64	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
मांग संख्या - 64							
1.	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	881.78	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
योग		6355.90	00.00	00.01	00.00	00.01	0.00
महायोग		15268.10	5343.43	7473.43	4352.75	4920.99	3363.14

तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियाँ

अ. टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

क्रमांक	योजना	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19
टसर कोया उत्पादन (लाख संख्या में)				
1.	पालित	98.570	69.76	83.095
2.	नैसर्गिक	190.260	126.50	108.880
	योग	288.830	196.26	191.975
लाभान्वित हितग्राही (संख्या)				
1.	अनुसूचित जाति	541	503	319
2.	अनुसूचित जनजाति	8249	2309	2625
3.	अन्य	859	2277	2547
	योग	9649	5089	5491
ब. मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम				
1.	रेशम केन्द्रों का भोगाधिकार वितरित क्षेत्र (एकड़ में)	926	1019	1009
2.	मलबरी कोया उत्पादन (किलो में)	701927	689323	693313
स. लाभान्वित हितग्राही (संख्या)				
(1)	अनुसूचित जाति	1898	482	356
(2)	अनुसूचित जनजाति	6305	3898	2311
(3)	अन्य	6422	1304	1662
	योग	14625	5684	4329

रेशम संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएं

1. प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

इस योजना का मुख्य उद्देश्य रेशम अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के तकनीकी एवं लेखा प्रशिक्षण देना व कृषकों/हितग्राहियों को रेशम गतिविधियों का प्रशिक्षण/एक्सपोजर भ्रमण कराना है। इस योजना के अंतर्गत मलबरी बीज कय, मलबरी बीज केन्द्रों का संधारण कार्य, रेशम केन्द्रों पर उन्नत प्रजाति का शहतूती पौधरोपण, लघु निर्माण कार्य व उपकरण कय कार्य कराया जाता है।

2 (1) मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

प्रदेश के बुनकरों द्वारा रेशम के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उच्च गुणवत्तायुक्त बाजारोन्मुखी कोया/रेशम धागे के उत्पादन पर जोर दिया गया है। प्रदेश में उन्नत प्रजाति के स्वस्थ समूह के ग्रामोद्योग विभाग

चाकी कृमिपालन, प्रशिक्षण, कलमों तथा ककून परिवहन, ककून प्रतिपूर्ति सहायता व विसंकमण व धागा उत्पादन प्रोत्साहन हेतु सामग्री के प्रदाय हेतु योजना में कार्य किया जाता है। रेशम केंद्रों में उपलब्ध अधोसंरचना के संधारण, लघु निर्माण कार्यों तथा आवश्यकतानुसार मलबरी कृमिपालन उपकरणों के क्रय हेतु भी कार्य किया जाता है।

रेशम संचालनालय द्वारा पूर्व में नाभिकीय रेशम केन्द्रों के रूप में चलाये जा रहे रेशम केन्द्रों का भोगाधिकार हितग्राहियों को दिया गया है, ताकि उनमें स्वरोजगार की भावना जागृत हो। हितग्राहियों को केन्द्र पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है।

2 (2) इरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

प्रदेश में अरण्डी के पौधे पर आधारित इरी रेशम के माध्यम से रोजगार सृजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इरी रेशम के कीड़े को अरण्डी के पत्ते पर पाला जाकर रेशम उत्पादन कराया जाता है। अरण्डी का पौधा कम उपजाऊ भूमि पर लगाया जा सकता है तथा इसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अरण्डी के पौधे पर रेशम कीट पालन के साथ-साथ कृषक को अरण्डी के बीज तथा अरण्डी के पौधे की जड़ के विक्रय से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है क्योंकि अरण्डी के बीज से तेल उत्पादन तथा जड़ औषधि उत्पादन में काम आती है।

3. टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

पालित :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोसा वस्त्र उत्पादन हेतु प्रदेश के बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित बीज केन्द्रों/पायलेट प्रोजेक्ट केन्द्रों/ग्रेनेजों द्वारा उत्पादित टसर रेशम कृमि के स्वस्थ डिम्ब समूह (निरोग अण्डे) प्रदाय किये जाते हैं, जिसके लिये बेसिक सीड केन्द्रीय रेशम बोर्ड से प्राप्त किया जाता है तथा कृमिपालन कर प्रगुणित किया जाता है। कृमिपालकों द्वारा खुले आकाश के नीचे वन क्षेत्रों में उपलब्ध साजा/अर्जुन के पौधों पर कृमिपालन का कार्य किया जाता है।

नैसर्गिक :- प्रदेश के वनों में नैसर्गिक रूप से उपलब्ध साल/लैंडिया आदि के वृक्षों पर नैसर्गिक टसर कोसा का उत्पादन होता है। वनों में उत्पादित ककून को स्थानीय हितग्राही एकत्रित कर स्थानीय हाट-बाजार में विक्रय कर आय अर्जित करते हैं।

4. अम्ब्रेला स्कीम

4 (1) एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम

प्रदेश के ऐसे जिलों में जहां कि रेशम उत्पादन हेतु सामाजिक/आर्थिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियां पूर्णतः अनुकूल है किंतु प्रति व्यक्ति भू-जोत का आकार न्यूनतम होने के कारण छोटे एवं सीमांत कृषकों, परंपरागत कृषि से कम आय प्राप्त कर रहे ऐसे संकुलों में रेशम की "मिट्टी से रेशम" तक की गतिविधियों हेतु अधोसंरचना निर्माण, उपकरण सहायता विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करते हुए संपूर्ण क्लस्टर का समग्र विकास किया जाना। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम समाप्त होने के उपरान्त प्रदेश में निजी विस्तार कार्यक्रम एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तत्कालिन तौर पर लिया जा रहा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम अनुरूप कृषकों की निजी भूमि में शहतूती पौधरोपण कार्यक्रम लिया गया है। जिसमें किसानों की निजी भूमि पर

मलबरी पौधरोपण कराया जाता है। जिसमें कृषकों को कृमिपालन उपकरण, कृमिपालन भवन एवं पौधरोपण की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त योजना की कुल इकाई लागत राशि रूपय 3.65 लाख है जिसमें 57 प्रतिशत सहायता विभाग द्वारा एवं 43 प्रतिशत हितग्राही अंश प्रावधानित है।

अधोसंरचना हेतु सहायता अन्तर्गत विस्तार किसान को अधिकतम अनुदान 57 प्रतिशत स्वीकृत किया जाता है। शेष 43 प्रतिशत राशि अपने अंश के रूप में कृषक द्वारा विनियोजित की जावेगी।

एक एकड़ क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण हेतु सहायता विवरण

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	इकाई लागत रुपये लाख में	राज्य सहायता	रेशम कृषक/ उद्यमी का अंश	कुल राशि
मलबरी पौधरोपण (जड़युक्त कलम)	0.15	0.15 (100%)	0.00 (0%)	0.15
कृमिपालन भवन (1000 वर्गफीट)	2.75	1.375 (50%)	1.375 (50%)	2.75
बायवोल्टाईन उपकरण	0.50	0.375 (75%)	0.125 (25%)	0.50
सिंचाई सुविधा योजना	0.25	0.1875 (75%)	0.0625 (25%)	0.25
योग	3.65	2.0875 (57%)	1.5625 (43%)	3.65

4 (2) उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

रेशम उद्योग से संबद्ध व्यक्तियों, उद्यमियों/स्वसहायता समूहों, अशासकीय संस्थाओं को विकास, उत्पादन एवं विपणन, प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों में सहयोग।

5. प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

योजना अन्तर्गत किया जाने वाले प्रचार प्रसार कार्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर/एम.आई.एस. का विकास/ई रेशम साफ्टवेयर का निर्माण आदि कार्य आयोजनेत्तर मद से किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियाँ

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
मांग संख्या-56-0101-सामान्य							
1.	स्थापना अनुदान	484.20	253.85	1352.93	1338.08	977.37	1141.58
2.	अमला प्रशिक्षण	7.20	7.20	9.00	8.10	5.67	4.21
3.	उत्पादन एवं कर्त्तिन अनुदान	49.50	49.50	60.00	60.00	54.00	54.00
4.	विपणन एवं प्रचार प्रसार	112.50	112.50	135.00	121.50	85.04	74.84
5.	कच्चा माल क्रय सहायता	180.00	180.00	220.00	198.00	198.00	198.00
6.	अनुसंधान एवं विकास	27.00	27.00	30.00	27.00	27.00	18.90
7.	सूचना प्राद्योगिकी	13.50	13.50	10.00	9.00	0.00	0.00
8.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	3680.00	3680.00	3524.00	3524.00	3296.61	3296.61
9.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	-	-	-	-	208.49	208.49
9.	कौशल विकास कार्यक्रम	244.44	244.44	230.00	230.00	204.40	184.40
10.	ग्रामोद्योग गतिविधियों संचालन एवं संवर्धन	126.936	126.936	150.00	103.14	60.75	60.75
योग		4925.27	4694.92	5720.93	5618.82	5117.34	5241.78
0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना							
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	292.347	292.347	453.00	453.00	396.00	396.00
2.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	-	-	-	-	64.14	64.14
3.	कौशल विकास कार्यक्रम	52.362	52.362	50.00	45.00	31.50	31.50
योग		344.71	344.71	503.00	498.00	491.64	491.64
0103 अनुसूचित जनजाति उपयोजना							
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	391.284	391.284	532.50	532.50	520.00	520.00

2.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	-	-	-	-	48.11	48.10
3.	कौशल विकास कार्यक्रम	71.802	71.802	70.00	63.00	44.10	44.10
योग		463.09	463.09	602.50	595.50	612.21	612.20
कुल योग		5733.07	5502.72	6826.43	6712.32	6221.19	6345.62
केन्द्र शासन (खादी ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा वित्तपोषित							
1.	प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम	2991.55	2104.02	2276.11	1960.26	3522.50	2472.18

तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियाँ

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19
0101 सामान्य (मांग संख्या-56)				
1.	कच्चा माल क्रय सहायता	430	435	—
2.	कस्तिनों को सहायता	415	295	415
3.	अमला प्रशिक्षण	125	170	99
4.	कारीगर प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन	142	358	625
5.	प्रचार प्रसार	118	48	45
6.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	3240	2712	2510
7.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	1744	1996	967
योग		6214	6014	4661
0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना				
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	316	414	302
2.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	—	—	290
3.	कौशल उन्नयन	58	158	127
योग		374	572	719
0103 अनुसूचित जनजाति उपयोजना				
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	495	487	397
2.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	.	.	283
3.	कौशल उन्नयन	19	228	207
योग		514	715	887
केन्द्र शासन (खादी ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा वित्तपोषित				
1.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	513	455	647

संचालित योजनाएं

1. खादी उत्पादन पर रिबेट

- प्रदेश में खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बुनकरों को खादी के उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत श्रमिकाई के अतिरिक्त, उत्पादन अनुदान।
- योजना का लाभ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं के बुनकरों को भी देय।

2. उत्पादन एवं कतिन सहायता

- प्रदेश में खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हाथ से कताई करने वाली कत्तिनों को खादी के उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत श्रमिकाई के अतिरिक्त, कत्तिन अनुदान।
- योजना का लाभ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं की कत्तिनों को भी देय।

3. कच्चा माल क्रय सहायता

- उत्पादन में निरंतरता बनी रहे एवं हितग्राहियों को नियमित रोजगार सुलभ कराने के दृष्टिकोण से कच्चा माल सहायता।

4. प्रचार प्रसार

- खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रभावी प्रचार प्रसार।
- क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आदि।

5. बोर्ड अमले को तकनीकी प्रशिक्षण

- बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना का अधिकार, विपणन, लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर कार्य एवं क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण।

6. विपणन सहायता

- ग्रामोद्योगी इकाईयों को गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, एवं क्रय सामग्री का तत्काल भुगतान हेतु सहायता।
- विभागीय विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विक्रय एवं मेले/प्रदर्शनियों में भाग लेकर ग्रामोद्योगी उत्पादों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन।
- ग्रामोद्योगी इकाईयों को मेला प्रदर्शनियों में भाग लेने पर स्टाल एवं आने जाने की सुविधा।

7. **अधोसंरचना विकास**

- विभागीय उत्पादन केन्द्रों की व्यवस्था को शेड निर्माण, आधुनिक मशीनों आदि से सुदृढ़ करना, जिससे कत्तिनों, बुनकरों एवं अन्य कारीगरों को निरंतर रोजगार के साथ-साथ उनकी कार्यक्षमता एवं आय में वृद्धि हो सके।

9. **ग्रामोद्योग गतिविधियाँ का संचालन एवं संवर्द्धन**

अ. **एकीकृत क्लस्टर विकास**

बोर्ड के उत्पादन केन्द्रों पर कत्तिन एवं बुनकर क्लस्टर के रूप में कार्य करते हैं। इस क्लस्टर के अधोसंरचनात्मक विकास को सुनिश्चित करना।

ब. **प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण**

खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादनों की लोकप्रियता बढ़ाने, विकास कार्यों का अभिलेखिकरण, ब्रोशर प्रिंटिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस का अभिलेखिकरण, परियोजना प्रतिवेदन तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के उपयोग हेतु सहायता।

स. **उद्यमियों एवं स्व-सहायता समूहों को सहायता**

ग्रामोद्योग से संबद्ध व्यक्तियों, उद्यमियों, स्व-सहायता समूह एवं अशासकीय संस्थाओं को नवीन तकनीक एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डियाजन विकास, उत्पाद परिवर्तन एवं विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों के विकास हेतु सहायता।

द. **स्पेशल प्रोजेक्ट**

खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में विकास के लिये विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन।

इ. **अनुसंधान एवं विकास**

अनुसंधान एवं विकास योजनान्तर्गत उत्पादन केन्द्रों की गुणवत्ता सुधार अध्ययन एवं मूल्यांकन (इम्पेक्ट असेसमेंट) हेतु व्यावसायिक तथा विशेषज्ञ संस्थानों से अध्ययन/विश्लेषण कराना व उन्नयन करना।

10. **विन्ध्या वैली**

- योजना का प्रमुख उद्देश्य विन्ध्या वैली ब्रांड को विकसित कर ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराकर उसका उचित मूल्य दिलाना एवं उन्हें निरंतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है।
- योजनान्तर्गत ग्रामीण उत्पादों का मूल्य संवर्धन (वैल्यू ऐडिशन), कौशल उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण, आकर्षक पैकेजिंग एवं मानकीकरण की सुविधा।

11. **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना**

- समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु रुपये 50 हजार से 10 लाख तक की परियोजनाओं में बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।
- **आर्थिक सहायता**— सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये एक लाख) बी.पी.एल./अनुसूचित/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन हेतु 30 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 2 लाख)।

12. **कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन**

- बेरोजगार युवाओं/अल्प-कालिक रोजगार प्राप्त कृषि संबंध मजदूरों को कुटीर एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हस्तशिल्प व एलाईड गतिविधियों में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना।
- कारीगरों को उन्नत तकनीकी, गुणवत्ता सुधार एवं कौशल उन्नयन हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण।

13. **मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना**

- स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु राशि रुपये 50 हजार तक की सहायता बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। आवेदक का पी0डी0एस0 कार्डधारक होना अनिवार्य। आवेदन दिनांक को हितग्राही की आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
- योजना में परियोजना लागत पर सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत तथा बी.पी.एल./अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन/विमुक्त घुम्मकड एवं अर्द्ध घुम्मकड जाति को 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 15,000 मार्जिन मनी सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियां

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	विकास सह संग्रहण केन्द्रों की स्थापना	585.00	585.00	535.00	535.00	530.10	530.07
2.	प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसार	130.75	130.75	120.00	120.00	118.80	118.80
3.	हस्तशिल्पों की बिक्री पर अवहार	155.00	155.00	-	-	-	-
4.	अनुसंधान का विकास	13.50	13.50	15.00	15.00	14.85	14.85
5.	उद्यमियों/स्वसहायता समूहों एवं अशा. संस्थाओं को सहयोग	27.00	27.00	30.00	27.00	27.00	27.00
6.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	248.122	248.122	260.00	260.00	236.70	236.70
7.	शिल्पी/बुनकर कल्याण योजना	0.009	0.00	0.01	0.00	-	-
8.	निगम को स्थापना हेतु अनुदान	454.850	454.850	795.68	795.68	607.21	458.22
9.	निगम भवनों का संधारण	27.00	27.00	33.00	33.00	32.40	32.40
10.	स्पेशल प्रोजेक्ट	0.009	0.00	0.009	0.00	-	-
11.	प्रमोशन अभिलेखीकरण	50.00	50.00	50.00	50.00	45.00	45.00
12.	अधोसंरचना विकास	0.009	0.00	0.01	0.00	-	-
13.	राज्य स्तरीय पुरस्कार	2.70	2.70	3.00	3.00	3.00	3.00
14.	सूचना प्रौद्योगिकी	13.50	13.50	16.50	16.50	-	-
15.	कालीन पार्क	313.00	313.00	100.00	90.00	90.00	40.50
16.	कौशल विकास कार्यक्रम	18.00	18.00	22.00	22.00	24.00	24.00
17.	आई.डी.पी.एच. परियोजना	156.80	138.40	156.80	141.12	-	-
योग		2195.25	2176.82	2137.009	2108.3	1729.09	1530.54

तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धि

क्र.	योजना	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसार संख्या	52	34	70	68	70	70
	लाभान्वित हितग्राही	18000	18332	12000	12000	12000	12000
2.	उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	22	24	25	33	65	60
3.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	2660	2660	1000	1170	990	2002
4.	शिल्पी/बुनकर कल्याण योजना	-	-	-	-	-	-
5.	राज्य स्तरीय पुरस्कार	3	3	6	-	5	5
6.	कौशल विकास कार्यक्रम	45	40	50	135	40	65
7.	कालीन पार्क	-	-	1000	1000	-	-
योग		20782	21093	14151	14406	13170	14202

राज्य स्तरीय योजनाएँ

1. एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम

ग्रामोद्योग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाना, वर्तमान क्लस्टरों को सुदृढ़ करना तथा नवीन क्लस्टरों को विकसित करना, क्लस्टरों में वित्तीय समर्थन को बढ़ाने हेतु डायग्नोस्टिक स्टेडी करना, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट, डिजाइन, बाजार लिंकेज, सलाहकारों की सेवाएँ लेना, कमियों को चिन्हित करने हेतु अध्ययन, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, क्लस्टर में लघु एवं मध्यम उद्यमियों अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु सेमीनार वर्कशाप, अध्ययन भ्रमण आदि का आयोजन करना तथा अन्य हाथकरघा संबंधी गतिविधियों/आवश्यकताओं हेतु सहायता। क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क, नाली, पेयजल, विद्युत प्रदाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ, अधोसंरचना, प्री-लूम, पोस्ट लूम सुविधाओं की स्थापना करना।

2. 'प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग से संबंधित उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यों का अभिलेखीकरण जिसमें डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर, प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जावेगी।

3. स्पेशल प्रोजेक्ट

हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी क्षेत्र के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ/प्रायवेट पार्टनरशिप अंतर्गत निजी इकाईयों, कंपनियों एवं व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन।

4 उद्यमियों/स्व. सहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम तथा खादी से संबंधित इकाईयों से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाएँ इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास, उत्पाद परिवर्तन, विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों के उत्थान के लिये सहायता।

5. अनुसंधान एवं विकास योजना

हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी से संबंधित इकाईयों को क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य संपादित करने हेतु अध्ययन एवं मूल्यांकन (इम्पेक्ट एसेसमेंट) हेतु नीतियों के क्रियान्वयन का व्यावसायिक तथा विशेषज्ञ संस्थाओं से अध्ययन/विश्लेषण कार्य कराए जाने हेतु सहायता दी जा सकती है।

6. विकास केन्द्रों का संचालन

शिल्पियों व बुनकरों को घोषित सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए निगम द्वारा हस्तशिल्प व हाथकरघा क्लस्टर्स में 29 विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

7. प्रदर्शनी प्रचार-प्रसार

प्रदेश के शिल्पों व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री के लिए निगम द्वारा देशभर में प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती है। इन प्रदर्शनियों में शिल्पियों/बुनकरों का सीधा सम्पर्क ग्राहकों से होता है उन्हें ग्राहकों की पसन्द का ज्ञान होता है व डायरेक्ट मार्केट लिंकेज मिलता है।

8 हस्तशिल्प की बिक्री पर अवहार

राष्ट्रीय व धार्मिक त्यौहारों के अवसर पर बिक्री पर अवहार दिया जाता है।

9. विपणन सहायता

शिल्पियों व बुनकरों के लिए सबसे प्रमुख समस्या विपणन की होती है। शिल्पियों के उत्पाद के विक्रय के लिए निगम द्वारा 22 एम्पोरियम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 09 प्रदेश के बाहर हैं। निगम द्वारा ग्वालियर व भोपाल में स्थाई हाट की स्थापना की गई थी। इस वर्ष इन्दौर में भी हाट प्रारंभ कर दी गई है। यहां शिल्पियों को रोटेशन से अपने उत्पाद बिक्री करने का अवसर दिया जाता है।

10 विश्वकर्मा पुरस्कार

शिल्पियों द्वारा जीविकार्जन के लिए व्यवसायिक उत्पादन कराने के कारण शिल्प की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। शिल्पियों को कलात्मक उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु चयनित शिल्पियों को विश्वकर्मा पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। प्रथम पुरस्कार रुपये 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार 50,000/- व तृतीय पुरस्कार रुपये 25,000/- है। इसके अतिरिक्त 15,000/- के 3 प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जाते हैं।

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड
तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियां

(राशि लाख रुपये)

(सोरी लाख रुपये)

क्र.	योजना	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
मांग संख्या-56-0101 सामान्य							
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	481.01	481.01	481.00	481.00	476.90	448.27
2.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना				-	46.97	41.32
2.	माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण	12.00	12.00	13.20	13.20	15.84	15.84
3.	माटीकला प्रचार-प्रसार योजना	7.20	7.20	8.80	8.80	9.50	6.50
4.	कौशल विकास कार्यक्रम	4.50	4.50	5.50	5.50	6.00	-
5.	मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान योजना	1.80	-	2.00	-	-	-
मांग संख्या-56-0102 (अनुसूचित जनजाति)							
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	13.49	13.49	14.99	14.99	14.84	14.84
2.	आर्थिक कल्याण योजना	-	-	-	-	1.49	1.49
मांग संख्या-56-0103 (अनुसूचित जाति)							
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	0.90	0.90	1.00	1.00	0.95	0.95
2.	आर्थिक कल्याण योजना				-	0.13	0.13
	योग	520.90	519.10	526.49	524.49	572.62	529.34

तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियां

(इकाई संख्या)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
		लक्ष्य (हितग्राही)	उपलब्धि (हितग्राही)	लक्ष्य (हितग्राही)	उपलब्धि (हितग्राही)	लक्ष्य (हितग्राही)	उपलब्धि (हितग्राही)
मांग संख्या-56-0101 सामान्य							
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	988	936	982	800	580	457
2.	आर्थिक कल्याण योजना	—	—	—	—	435	288
2.	माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण	50	46	60	58	65	68
3.	माटीकला प्रचार-प्रसार योजना	30	33	30	69	32	33
4.	कौशल विकास कार्यक्रम	15	08	15	14	15	—
योग		1083	1023	1087	941	1127	846
मांग संख्या-56-0102 (अनुसूचित जनजाति)							
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	01	01	01	03	1	1
2.	आर्थिक कल्याण योजना	—	—	—	—	1	1
मांग संख्या-56-0103 (अनुसूचित जाति)							
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	11	11	17	18	19	19
2.	आर्थिक कल्याण योजना	—	—	—	—	14	14
योग		1095	1035	1105	962	1162	881

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड की योजनाएं

1. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में परियोजना लागत रुपये 0.50 लाख से 10.00 लाख तक इकाई स्थापित करने के लिये सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 1.00 लाख तक एवं बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन हेतु 30 प्रतिशत अधिकतम रुपये 2.00 लाख तक का मार्जिन मनी सहायता।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 5 प्रतिशत की दर से तथा महिला हितग्राहियों को 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम रुपये 25,000/- प्रति वर्ष तक ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष तक।

2. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में परियोजना लागत रुपये 50,000/- पर सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत तथा बी.पी.एल./अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन/विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति को 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 15,000 मार्जिन मनी सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

3. माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण योजना

माटीकला उद्यमियों की प्रशिक्षण योजना में माटी शिल्प के विकास एवं मूल्य संवर्धन (value addition) का प्रशिक्षण देश एवं प्रदेश स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों के माध्यम से दिया जाता है।

4. माटीकला प्रचार-प्रसार योजना

इस योजना अंतर्गत माटीकला शिल्पियों के लिये संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से किया जाता है एवं माटी कामगारों/शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रति वर्ष 3 उत्कृष्ट शिल्पियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों को प्रदेश या प्रदेश के बाहर आयोजित होने वाले मेले/प्रदर्शनी आदि में भागीदारी और मेले के आयोजन के लिये सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

5. कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन

इस योजना में प्रदेश के माटीशिल्पियों को प्रदेश के बाहर देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे विशिष्ट माटी उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

भाग-4

अभिनव योजनाएं

हाथकरघा संचालनालय

चन्देरी, महेश्वरी, बाग एवं प्राकृत उत्पादों के ब्राण्ड बिल्डिंग हेतु पर्यटन विकास निगम द्वारा भोपाल में आयोजित कन्वेंशन एवं प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी आदि विशेष आयोजनों में भागीदारी की गई।

रेशम संचालनालय

आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत बैतूल जिले के 119 अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को मलबरी रेशम उत्पादन के माध्यम से स्वरोजगार हेतु राशि रु. 248.4125 लाख की सहायता स्वीकृत की जाकर लाभान्वित किया गया। एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम में 557 निजी किसानों को मलबरी पौधरोपण हेतु रु. 1079.19 लाख की सहायता स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

खादी उत्पादों के लिये “अमेजन” से अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। “कबीरा” (खादी) ब्राण्ड को भारत सरकार, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत करवाया गया है। जिसके तहत खादी के रेडीमेड वस्त्रों के विपणन को बढ़ावा दिया जायेगा।

हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ने हेतु ‘अमेजन’ के माध्यम से ऑनलाईन विपणन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। उनकी साईट पर लगभग 750 उत्पाद ऑनलाईन विक्रय हेतु उपलब्ध हैं।

माटीकला बोर्ड

गौहर महल भोपाल में माह जून 2018 में माटीशिल्पियों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराने के लिये “माटी की महक” मेले का आयोजन किया गया जिसमें 33 माटीशिल्पियों द्वारा भागीदारी कर राशि रु. 30.00 लाख के उत्पादों का विक्रय किया गया।

भाग 5

महिला नीति एवं जेण्डर बजट

हाथकरघा संचालनालय

हाथकरघा एवं कुटीर उद्योग का कार्यक्षेत्र व्यक्ति विशेष न होकर पारिवारिक गतिविधि के रूप में संचालित होता है। वित्त विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले जेण्डर बजट में ग्रामोद्योग विभाग को सम्मिलित किया गया है। हितग्राही मूलक योजनाओं में स्वीकृत बजट प्रावधान का न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला हितग्राहियों के लिए उपयोग किया जाता है। स्व सहायता समूहों के गठन, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता आदि में महिला हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाती है।

रेशम संचालनालय

रेशम संचालनालय के अंतर्गत स्वावलंबन योजना के तहत शहतूती पौधरोपित भूमि एक एकड़ अथवा आधा एकड़ का भोगाधिकार दिया गया है जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के बचत समूह गठित किये गये हैं। प्रदेश में उत्पादित समस्त प्रकार के रेशम ककून की धागाकरण इकाईयां म.प्र. सिल्क फेडरेशन के अन्तर्गत क्रियान्वित है, उल्लेखनीय है कि प्रदेश में संचालित समस्त रेशम धागाकरण इकाईयों में शत प्रतिशत महिलायें कार्यरत हैं। महिला नीति एवं जेण्डर बजट के तहत वर्ष 2018-19 में कुल 1244 महिला हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा धागा कताई, स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत इकाई स्थापना में महिला हितग्राहियों की 30 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तथा विन्ध्यावैली के तहत महिला हितग्राहियों के समूहों के उत्पादों के विपणन में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। खादी उत्पादन योजनान्तर्गत 286 महिला कस्तिनों को तथा विन्ध्यावैली परियोजनान्तर्गत 224 महिला सदस्यों को लाभान्वित किया गया है।

म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

निगम द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्राटोटाइप डेवलपमेन्ट कार्यशालाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। निगम द्वारा संचालित योजनाओं में 30 प्रतिशत बजट का उपयोग महिलाओं के लिये होता है।

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा माटी से संबंधित उद्योग प्रारंभ करने के लिये 30 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

भाग — छः

सारांश

हाथकरघा संचालनालय

प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर हाथकरघा वस्त्र बुनाईकला के संरक्षण एवं विकास हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, उन्नत उपकरणों का प्रदाय, क्लस्टरों में अधोसंरचना विकास, डिजाइन डेवलपमेंट एवं उत्पाद विकास पर जोर दिया गया। उत्पादों के विपणन में सहायता हेतु भण्डार क्रय नियमों के तहत शासकीय प्रदाय के अलावा देश एवं प्रदेश में मेला एक्सपो एवं प्रदर्शनियों का आयोजन अथवा उनमें भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

रेशम संचालनालय

प्रदेश में निजी भूमि पर रेशम उत्पाद हेतु कृषकों को आवश्यक प्रशिक्षण, तकनीक, उपकरण, अधोसंरचना निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में उपलब्ध वन सम्पदा में टसर खाद्य पौधे चिन्हित कर टसर रेशम उत्पाद के माध्यम से गरीब तबके के हितग्राहियों विशेषकर आदिवासी हितग्राहियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में उत्पादित मलबरी एवं टसर रेशम कोया का मूल्य संवर्धन हेतु धागाकरण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में हितग्राहियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न अंचलों में खादी उत्पादन जिसमें सिल्क, ऊनी तथा सूती खादी सम्मिलित है के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में निवासरत् इन गतिविधियों से जुड़े अधिक से अधिक कस्तिन व बुनकरों को लाभान्वित किए जाने का सतत् प्रयास किया जाता है।

म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विन्ध्या वैली प्रोजेक्ट अंतर्गत बिक्री के समस्त सार्थक प्रयास करते हुए अधिक से अधिक बिक्री के प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे उनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ इस प्रोजेक्ट से जुड़े स्व-सहायता समूहों के सदस्यों, अधिकांश महिलाओं को प्राप्त होता है।

हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

निगम द्वारा परम्परागत शिल्पी व बुनकर परिवारों के युवाओं को परम्परागत आजीविका में ही बनाए रखने के लिये उचित वातावरण बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत क्लस्टर में बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। एम्पोरियमों की बिक्री बढ़ाने के लिये एम्पोरियमों की साज-सज्जा परिवर्तित की जा रही है, व नई प्रोडक्ट रेंज विकसित की गई है। डिजाइनर आइटम्स का उत्पादन एसोसिएट शिल्पियों व बुनकरों से करवाया जा रहा है जिससे उनकी आमदनी बढ़कर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। बुनकरों को विपणन सहायता के तहत देशभर में प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं।

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

प्रदेश के परम्परागत माटी शिल्पियों को वित्तीय संसाधन, उन्नत प्रशिक्षण एवं उपकरण उपलब्ध कराने संबंधी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके।

ग्रामोद्योग विभाग

